

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :- प्रकाश राजपुरोहित (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 08/2023

ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. (पूर्व ए.यू. फाईनेंसर (इण्डिया) लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय 19 ए धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर राजस्थान हाल. कार्यालय जी'18, आई.ओ.सी. पेट्रोल पम्प के पीछे सहकार मार्ग, जयपुर

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सरफूदीन पुत्र श्री वाईद कुरैशी (बोरोवर) पता- 139, महाजन मौहल्ला, जयपुर हरसोली जिला जयपुर राज0
2. श्रीमती शबाना खान (को- बोरोवर) पता- 139 महाजन मोहल्ला, जयपुर हरसोली जिला जयपुर राज0

(अप्रार्थीगण) ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002

निर्णय

दिनांक :- 22.5.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण ऋणी को ऋण अनुबंध संख्या L 9001060125676445(OLD LOAN L 9001060125676445) दिनांक 28.10.2021 के जरिये प्रार्थी कम्पनी से कुल 3,55,000./- रुपये की वित्तीय सुविधा प्राप्त की थी। उक्त ऋण की सिक्योरिटी पेटे अप्रार्थीगण द्वारा अपनी सम्पति मालिक सरफूदीन सम्पति का विवरण ग्राम पंचायत हरसोली प.स. दूदू मे स्थित भूखण्ड

4-90
जिला कलक्टर
दूदू (राज0)



क्षेत्रफल 570 वर्गगज पर प्रार्थी कम्पनी के यहां मोरगेज किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अनुबंध पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं किये जाने से खाते को दिनांक 11.12.2022 को विधिनुसार एनपीए घोषित किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अप्रार्थीगण को दिनांक 15.12.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस को प्रार्थी ने दो दैनिक अखबारों में दिनांक 10.01.2023 को प्रकाशित करवाया गया। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

पत्रावली नवगठित जिला दूदू के क्षेत्राधिकार की होने से न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के यहां से इस न्यायालय में प्राप्त होने से पुनः दर्ज रजिस्टर की गई।

वित्तीय संस्था के विद्वान अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभाँती अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अपार्थीगण को 3,55,000/- रुपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अपार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अपार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा कराने हेतु अपार्थीगण को दिनांक 15.12.2022 को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा नोटिस जारी किया गया। अपार्थीगण ने उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अपार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 14 के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अपार्थी श्री सरफूदीन पुत्र श्री वाईद कुरैशी (बोरोवर) व श्रीमती शबाना खान (को- बोरोवर) की बंधक सम्पत्ति आबादी भूमि ग्राम हरसोली तहसील दूदू क्षेत्रफल 570 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक दूदू को प्रेषित कर लिखा जावे कि उक्त सम्पति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु सम्बंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबंद करें। आदेश की प्रति हसब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 22.5.2024 को सरे इजलास सुनाया।

प्रकाश
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
दूदू (राजो)
दूदू